



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-25102025-267102
CG-UP-E-25102025-267102

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4575]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 16, 2025/आश्विन 24, 1947

No. 4575]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 16, 2025/ASVINA 24, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे, (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 25 सितम्बर, 2025

का.आ. 4704(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989(24 का 1989), वं रेलवे 2008 अधिनियम (संशोधन) (11 का 2008) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है-की धारा (20 ए के खण्ड).1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लि, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाब अनुसूची (में दिया गया है राजस्थान राज्य के अलवर जिले में “मथुरा अलवर खण्ड का उन्नयन की विशेष रेल परियोजना के” निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लि, अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा-20 क की उपधारा).4 के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् (“राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर में तारीख को प्रकाशित किया गया था। 2025 अप्रैल 06

और 01 ग्राम में आक्षेप प्राप्त हु, थे तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दिये गये हैं।

और उक्त अधिनियम की धारा-20 ‘ड’ की उपधारा).1 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय (सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा.20 ‘ड’ की उपधारा).1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस में उपाब अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त (प्रयोजन के लि, अर्जित की जायेगी।

और यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-20 'ड' की उपधारा).2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाब अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय (सरकार में आयांकित रूप से निहित हो जायेगी।

अनुसूची राजस्थान राज्य में मथुरा अलवर खण्ड का उन्नयन की विशेष रेल परियोजना के निर्माण के लिए अलवर जिले में जाने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।							
क्रम सं०	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अर्जित क्षेत्रफल हैक्ट)० में(	भू स्वामी-/ हितबद् व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गोविन्दगढ़	रामबास	2233/1765	निजी	कृषि	0.2276	1. विजन पुत्र रामचरन हिस्सापूर्ण - देह .सा (यादव) अहीर-जाति -खसरा संख्या) खातेदार राहिन 2222/680 बिना रहनबडौदा (राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रामबास
2.	गोविन्दगढ़	रामबास	2232/1765	निजी	कृषि	0.02546	1. मुखराज पुत्र रामचरन हिस्सा- देह .सा (यादव) अहीर-पूर्ण जाति -खसरा संख्या) खातेदार राहिन 2223/680 बिना रहनपंजाब (नेशनल बैंक शाखा गोविन्दगढ़ अलवर
3.	गोविन्दगढ़	रामबास	1766/518	निजी	कृषि	0.2529	1. श्रीराम पुत्र फूलचन्द हिस्सा पूर्ण - देह .सा (यादव) अहीर-जाति (पूर्ण खाता) खातेदार राहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा रामबास
					योग	0.5060	

[फा. सं. एनसीआर/(एलएएनडी)एचक्यूशून्यसीईएनजी-6/2024-ओएजीसी/एक-कन्स्ट्रक्शन/ओ डिप्टी चीफ इंजी/]

कम्प्यूटर संख्या: 114142)

विपिन कुमार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Construction Department)]

NOTIFICATION

Prayagraj, the 25th September, 2025

S.O. 4704(E).—In exercise of the powers conferred by sub – section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) & Railways (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, ” **Upgradation of Matura-Alwar Section Railway Project**” in District Alwar in the state of Rajasthan hereby declares its intention to acquire such land.

Any whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely “ Dainik Bhaskar” and Rajasthan Patrika” dated 06.04.2025 under sub section (4) of Section 20A of the said ACT.

Any whereas, in 01 village objections were received and competent Authority have passed the orders accordingly;

Any whereas, in pursuance of sub section 20E of the said Act, the competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE							
Brief description of the land to be acquired with or without structure, for the Special Railway Project, namely, Upgradation of Matura-Alwar Section Railway Project in District Alwar in the state of Rajasthan.							
S.N.	Tehsil Name	Village Name	Plot No.	Types Of land	Nature of land	Acquired Area in Hect.	Land Owner/ Beneficiary Name
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Govindgarh	Rambas	2233/1765	Private	Agriculture	0.2276	1. Vijan S/o Ram Charan Part-Full Caste-Ahir(Yadav) Sa. Deh Khatedar Rahin (Khasra No. 2222/680 bina Rahin) Baroda Rajasthan Regional Rural Bank Branch Rambas
2.	Govindgarh	Rambas	2232/1765	Private	Agriculture	0.02546	1. Mukhram S/o Ramcharan Part-Full Caste-Ahir(Yadav) Sa. Deh Khatedar Rahin (Khasra No. 2223/680 bina Rahin) Punjab National Bank Branch Govindgarh Alwar
3.	Govindgarh	Rambas	1766/518	Private	Agriculture	0.2529	1. Shriram S/o Phoolchand Part-Full Caste-Ahir(Yadav) Sa. Deh Khatedar Rahin (Khasra No. 2222/680 bina Rahin) Baroda Rajasthan Regional Rural Bank Branch Rambas
					Total	0.5060	

[F. No. NCR-HQ0CENG(LAND)/6/2024-O/o DY.CE/C-I/AGC] (Computer No.114142)

VIPIN KUMAR, Chief Administrative Officer (Construction)